दिनाँक	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश परिवादी गणपतसिंह C R. No. 570 /2018 P.S. Sumerpur F.R. CIS No. 31/2019	अनुपालना टिप्पणी
07.06.2019	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। परिवादी श्री गणपतसिंह मय वकील श्री पूरणसिंह देवड़ा उपस्थित। परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(8) दं0प्र0सं0 पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि परिवादी ने परिवाद में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी नितिन शर्मा ने चैक पर अपनी पत्नी के हस्ताक्षर किये थे परंतु दौराने अनुसंधान अभियुक्त व उसकी पत्नी के नमूना हस्ताक्षर लेकर एफएसएल जांच नहीं करवायी गयी और इस प्रकार प्रकरण में अनुसंधान अपूर्ण है तथा पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु लौटाने का निवेदन किया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने परिवाद में यह अंकित किया है कि अप्रार्थी व परिवादी के मध्य जमीन के लेनदेन को लेकर फैसला हुआ था जिसमें अप्रार्थी ने परिवादी व कृपाशंकर को 35 लाख रूपये अदा करना स्वीकार किया था और अप्रार्थी ने सुमेरपुर आकर इसकी एवज में परिवादी को पांच–पांच लाख रूपये के दो चैक दिये जिस पर उसने अपनी पत्नी के हस्ताक्षर किये और परिवादी को यह कहा कि उसकी पत्नी के हस्ताक्षर वह ही करता है और परिवादी को भुगतान प्राप्त हो जायेगा। परिवादी ने चैक भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के आधार पर अनादरित हुए, इसके पश्चात अभियुक्त परिवादी को आश्वासन देता रहा परंतु उसने परिवादी को रूपये अदा नहीं किये। प्रकरण में अनुसंधान के दौरान परिवादी व गवाह अवतारसिंह के पुलिस बयान लेखबद्ध किये गये और चैक व चैक अनादरण मीमो की प्रतियां संलग्न पत्रावली की गई है, चैक अनादरण मीमो के अवलोकन से प्रकट होता है कि चैक खाते में अपर्याप्त राशि होने के आधार पर अनादरित हुआ है न कि हस्ताक्षर मिलान नहीं होने के आधार पर। परिवादी ने इस आधार पर पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु लौटाने का निवेदन किया है कि चैक पर चैक के लेखक के रूप में कीर्ति सहीवाला के हस्ताक्षर नहीं होकर उसके	

दिनाँक	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश परिवादी गणपतसिंह C R. No. 570 /2018 P.S. Sumerpur F.R. CIS No. 31/2019	अनुपालना टिप्पणी
	पति अप्रार्थी नितिन शर्मा द्वारा अपनी पत्नी के हस्ताक्षर किये गये हैं जिस संबंध में एफएसएल जांच करवाने का निवेदन किया गया है परन्तु चैक अनादरण मीमो से प्रकट होता है चैक हस्ताक्षर मिलान नहीं होने के आधार पर अनादरित नहीं हुआ है। जबकि बैंक द्वारा चैक पर हस्ताक्षर मिलान किये गये हैं और चैक पर कीर्ति सहीवाला के ही हस्ताक्षर होना पाये गये हैं तो हस्ताक्षरों की एफएसएल जांच हेतु पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु लौटाये जाने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। अतः इस दिशा में अनुसंधान अपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(8) दं0प्र0सं0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते पेश होने विरोध याचिका दिनांक 02.08.2019 को पेश हो।	